संख्या- 878/1-10-2014-12(3)/13

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रामपुर ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक : 17 अक्टूबर, 2014

विषय वर्ष **2013-14** में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना हेतु अवशेष धनराशि का राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रामपुर में वर्ष 2013-14 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पतियों की मरम्मत हेतु शासनादेश संख्या-134/1-10-2014-12(3)/13, दिनांक 19.02.2014 द्वारा जिला स्तरीय आपदा राहत समिति से अनुमोदित सिंचाई विभाग, रामपुर (रामपुर नहर खण्ड रामपुर) के कुल 24 कार्यों/परियोजनाओं, लोक निर्माण विभाग रामपुर (प्रा0ख0 लोक निर्माण विभाग) के 06 कार्यों एवं लोक निर्माण विभाग, रामपुर (निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग) के 07 कार्यों अर्थात कुल 37 कार्यों हेतु प्रथम किश्त की धनराशि रू0 6,04,39,500/- आवंटित की गयी थी। अब आपके पत्र संख्या-516/दै0आपदा/13-14, दिनांक 10-07-2014 द्वारा किये गये अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुये रामपुर नहर खण्ड सिंचाई विभाग, रामपुर के 24 कार्यों हेतु अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 **4,43,47,000/- (कुल रूपये चार करोड़ तैंतालीस लाख सैंतालीस हजार मात्र)** द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क0सं0	परियोजना का नाम	वास्तविक लागत (लाख में)	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	रामपुर में कोसी नदी के बायें तट पर बन्दरपुरा ग्राम के समीप लालपुर धनौरी बंध के किमी0 12.100 से किमी0 12.300 के मध्य क्षतिग्रस्त बंध की पुनर्स्थापना एवं कटाव निरोधक कार्य।	44.65	22.325
2	रामपुर में कोसी नदी के बायें तट पर धनौरी ग्राम के समीप लालपुर धनौरी बंध के किमी0 14.400 से किमी0 15.600 के मध्य क्षतिग्रस्त बंध की पुनर्स्थापना एवं कटाव निरोधक कार्य।	45.78	22.89

3	रामपुर में कोसी नदी पर इमरता ग्राम के समीप लालपुर धनौरी बंध के किमी0 3.500 से किमी0 4.500 के मध्य क्षतिग्रस्त बंध की पुनर्स्थापना एवं कटाव नियंत्रक कार्य।	45.29	22.645
4	रामपुर में कोसी नदी के दायें तट पर ग्राम मुस्तफाबाद एवं नया गांव के समीप दढ़ियाल बंध के किमी0 0.20 से किमी0 1.00 के मध्य क्षतिग्रस्त बंध की पुनर्स्थापना एवं कटाव निरोधक कार्य।	48.27	24.135
5	रामपुर में पीलाखार नदी नदी के बायें तट पर ग्राम मुस्तफाबाद कला के समीप क्षतिग्रस्त तट पर कटाव निरोधक कार्य।	48.30	24.15
6	रामपुर में कोसी नदी के बायें तट पर स्थित लालपुर रूहेला बांध के किमी0 0.00 से 0.800 के मध्य क्षतिग्रस्त बंध की पुनर्स्थापना का कार्य।	46.85	23.425
7	रामपुर में कोसी नदी के बायें तट पर ग्राम रवन्ना के समीप क्षतिग्रस्त तट की पुनर्स्थापना एवं कटाव निरोधक कार्य।	41.14	20.57
8	रामपुर में कोसी नदी के दायें तट पर ग्राम प्रानपुर के समीप क्षतिग्रस्त तट की पुनर्स्थापना एवं कटाव निरोधक कार्य।	41.14	20.57
9	रामपुर में कोसी नदी के दायें तट पर दढ़ियाल बंध के किमी0 1.00 से किमी0 1.70 के मध्य क्षतिग्रस्त बंध की पुनर्स्थापना का कार्य।	16.00	08.00
10	रामपुर में कोसी नदी के बायें तट पर ग्राम बन्दरपुरा के समीप लालपुर धनौरी बांध के किमी0 12.350 से किमी0 12.550 के मध्य क्षतिग्रस्त बंध की पुनर्स्थापना का कार्य।	20.47	10.235
11	रामपुर में कोसी नदी के बायें तट पर स्थित लालपुर रूहेला बांध के किमी0 1.050 से किमी0 2.525 के मध्य क्षतिग्रस्त बंध की पुनर्स्थापना का कार्य।	48.13	24.065
12	रामपुर में कोसी नदी के बायें तट पर लालपुर धनौरी बांध के किमी0 16.000 से किमी0 19.00 के मध्य क्षतिग्रस्त बंध की पुनर्स्थापना का कार्य।	39.05	19.525
13	रामपुर में कोसी नदी के दायें तट पर दढ़ियाल बंध के किमी0 3.00 से किमी0 5.50 के मध्य क्षतिग्रस्त बंध की पुनर्स्थापना का कार्य।	48.86	24.43
14	रामपुर में भाकड़ा वीयर के लकड़ी के गेटों एवं डाउन स्ट्रीम की बोल्डर पिचिंग की पुनर्स्थापना का कार्य।	14.60	7.30
15	रामपुर में पीलाखार नदी के बायें किनारे पर स्थित अशोकपुर गुजरेला बंध के किमी0 0.00 से किमी0 1.40 के मध्य क्षतिग्रस्त बंध की पुनर्स्थापना का कार्य।	44.02	22.01
16	रामपुर में पीलाखार नदी के बायें किनारे पर स्थित अशोकपुर गुजरेला बंध के किमी0 1.400 से किमी0 2. 550 के मध्य क्षतिग्रस्त बंध की पुनर्स्थापना का कार्य।	12.70	6.35
17	रामपुर में पीलाखार नदी के दायें किनारे पर स्थित दायां पीलाखार नहर की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य।	41.12	20.56
18	रामपुर में कोसी नदी पर स्थित वीयर के क्षतिग्रस्त भाग की पुनर्स्थापना एवं डाउन स्ट्रीम में बोल्डर पिचिंग का कार्य।	46.19	23.095

19	रामपुर में घुघा नदी के दायें तट पर ग्राम कोयली के समीप क्षतिग्रस्त बैंक की पुनर्स्थापना एवं कटाव निरोधक कार्य।	41.44	20.72
20	रामपुर में कोसी नदी के बायें तट पर स्थित लालपुर रूहेला बांध के किमी0 2.60 से किमी0 4.100 के मध्य क्षतिग्रस्त बंध की पुनर्स्थापना का कार्य।	48.08	24.04
21	रामपुर में पिपलिया गोपाल में सैजनी नदी की बाढ़ से क्षतिग्रस्त तटों पर बोल्डर पिचिंग का प्रावधान करते हुए पुनर्स्थापना का कार्य।	46.64	23.32
22	रामपुर में सैजनी नदी के बाढ़ से क्षतिग्रस्त दायें तटों की पुनर्स्थापना एवं बोल्डर पिचिंग का कार्य।	10.81	5.405
23	रामपुर में लाला नगला–बिढ़ऊ मार्ग के निकट सैजनी नदी के क्षतिग्रस्त बायें तट की पुनर्स्थापना एवं बोल्डर पिचिंग का कार्य।	12.16	6.08
24	रामपुर में ग्राम मुतियापुरा के समीप क्षतिग्रस्त पीलाखार नदी के दायें तट की पुनर्स्थापना तथा कटाव निरोधक कार्य।	35.25	17.625
	योग	886.94	443.47

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूव होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा ।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जॉच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ् पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन की प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-33(94)/2014, दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराते हुये विषयगत मामले/सन्दर्भित कार्यों के बारे में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की जा रही है कि उक्त कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 23.01.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं केया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जोगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है । यह स्थिति उचित नहीं है । निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अत: आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अत: राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट **एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन** पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीया,

(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या 878 (1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद ।
5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
7- उप निदेशक सामान्य एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी रामपुर ।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(मदन मोहन)
अनु सचिव ।